रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022024-251965
CG-DL-E-09022024-251965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945
No. 551] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

## कोयला मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

**का.आ. 581(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4163(अ), तारीख 06 सितम्बर, 2022, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 06 सितम्बर, 2022 में प्रकाशित उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 273.91 हेक्टेयर (लगभग) या 676.83 एकड़ (लगभग) भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 273.91 हेक्टेयर (लगभग) या 676.83 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसूची में वर्णित 273.91 हेक्टेयर (लगभग) या 676.83 एकड़ माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या एनसीएल/मुख्यालय/भूमि और राजस्व/2023/95, तारीख 20 जुलाई, 2023 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, पांचवीं मंजिल, कोर-2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व अनुभाग, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश – 486889 के कार्यालय में किया जा सकता है।

**अनुसूची**

मेहरौली उत्तर, मेहरौली पूर्व और पश्चिम

तथा मोरवा भौगोलिक ब्लाक

जयंत विस्तार ओपनकास्ट परियोजना के लिए, नार्दर्न कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली

जिला – सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

[रेखांक धारक संख्या एनसीएल/मुख्यालय/भूमि और राजस्व/2023/95, तारीख 20 जुलाई, 2023 में दर्शाए गए बहुभुज (च-ङ-घ-झ-न-ध-द-च) से घिरा हुआ क्षेत्र ]

सभी अधिकार :

भाग-III ( जयंत उप ब्लॉक-III)

| **क्र.सं.** | **ग्राम का नाम** | **पटवारी सर्किल संख्या** | **तहसील** | **जिला** | **क्षेत्र (यर मेंहेक्टे)** | **टिप्पणियां** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मेढ़ौली | 00004 | सिंगरौली नगर | सिंगरौली | 141.45 | भाग |
| 2. | पिजरेह (पंजरेह) | 00005 | सिंगरौली नगर | सिंगरौली | 132.46 | भाग |
| जोड़ : | | | | | 273.91 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 676.83 एकड़ (लगभग) | |

1. ग्राम मेढ़ौली में अर्जित प्लाट संख्यांक :

   64(भाग), 65(भाग), 344(भाग), 345(भाग), 346, 347, 348(भाग), 349(भाग), 354(भाग), 355 से 360 तक, 361(भाग),370(भाग), 371, 372(भाग), 372/622 (भाग) और बहुभुज च-ङ-घ-झ-न-ध-द-च के अंतर्गत आने वाले सभी भूखंडों अथवा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है ।

2. ग्राम पिजरेह (पंजरेह) में अर्जित प्लाट संख्यांक :

   2(भाग), 3 से 5, 6(भाग), 8(भाग), 9(भाग),10,11 (भाग), 140(भाग), 141(भाग), 162(भाग),163 से 165तक, 166(भाग),167(भाग),168, 169 और बहुभुज च-ङ-घ-झ-न-ध-द-च के अंतर्गत आने वाले सभी भूखंडों अथवा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है ।

**इस बहुभुज (च-ङ-घ-झ-न-ध-द-च) का सीमा वर्णन:**

च-ङ : रेखा, बिन्दु "च" से आरम्भ होती है और ग्राम मेढ़ौली के प्लाट संख्यांक 349, 348 और 64 से होकर गुजरती है तथा प्लाट संख्या 64 के बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ-घ : रेखा, बिन्दु "ङ" से आरम्भ होती है और ग्राम मेढ़ौली के प्लाट संख्या 63 (नाला) के पूर्वी सीमा (किनारे) से होकर गुजरती है और प्लाट संख्या 63 के सबसे पूर्वी बिंदु "घ" पर मिलती है।

घ-झ : रेखा, बिन्दु "घ" से आरम्भ होती है और ग्राम मेढ़ौली के प्लाट संख्यांक 65,345,344, 343,361,370,372/622 और 372 से होकर गुजरती है तथा बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ-न : रेखा, बिन्दु "झ" से आरम्भ होती है जो ग्राम मेढ़ौली की सीमा से होकर गुजरती है तथा मेहरौली वेस्ट (डिप उत्तर की तरफ) ब्लाक (अधिसूचना संख्या 3065, तारीख 20 अक्तूबर, 2011) की पूर्व अर्जित भूमि की सीमा तथा ग्राम पिजरेह (पंजरेह) के प्लाट संख्यांक 171 और 169 की संयुक्त सीमा एवं 170 और 169 की संयुक्त सीमा से होकर गुजरती है तथा बिन्दु "न" पर मिलती है ।

न-ध : रेखा, बिन्दु "न" से आरम्भ होती है और ग्राम पिजरेह (पंजरेह) के प्लाट संख्यांक 170 और 167 की संयुक्त सीमा से होकर गुजरती है तथा बिन्दु "ध" पर मिलती है ।

ध-द : रेखा, बिन्दु "ध" से आरम्भ होती है और ग्राम पिजरेह (पंजरेह) के प्लाट संख्यांक 167, 166, 140, 141, 162, 11 और 9 से होकर गुजरती है तथा बिन्दु "द" पर मिलती है।

द-च : रेखा, बिन्दु "द" से आरम्भ होती है और ग्राम पिजरेह (पंजरेह) के प्लाट संख्यांक 9, 6, 8 और 2 तथा मेढ़ौली के प्लाट संख्यांक 354 और 349 से होकर गुजरती है तथा प्रारंभिक बिन्दु "च" पर मिलती है।

[सं. 43015/14/2020-एलएआईआर(भाग)]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COAL**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2024

**S.O. 581(E).—**Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 4163(E), dated 6th September, 2022, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the dated 6th September, 2022, the Central Government gave notice of its intention to acquire 273.91 hectares (approximately) or 676.83 acres (approximately) lands and all rights in or over such land specified in the Schedule appended to that notification;

And, whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the lands measuring 273.91 hectares (approximately) or 676.83 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 273.91 hectares (approximately) or 676.83 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in the Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number NCL/HQ/LAND AND REVENUE/2023/95, dated the 20th July, 2023 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, District Singrauli, Madhya Pradesh or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organisation, 5th Floor, Core-II, Scope Minar, Laxmi Nagar, Delhi-110 092 or at the office of the General Managar, Northern Coalfields Limited, Land and Revenue Section, District Singrauli, Madhya Pradesh – 486889.

**SCHEDULE**

MEHRAULI NORTH, MEHRAULI EAST AND WEST
AND MORWA GEOLOGICAL BLOCKS
For Jayant Expansion Opencast Project
Northern Coalfields Limited, Singrauli
District – Singrauli (Madhya Pradesh)

[Area enclosed inside the polygon F-E-D-I-T-S-R-F as shown in plan bearing number NCL/HQ/Land and Revenue/2023/ 95, dated the 20th July, 2023]

ALL RIGHTS:

PART-III (Jayant Sub Block-III) :

| Sl. No. | Name of Village | Patwari circle number | Tehasil | District | Area (in hectares) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEDHAULI | 00004 | Singrauli Nagar | Singrauli | 141.45 | Part |
| 2. | PIJREH (PANJREH) | 00005 | Singrauli Nagar | Singrauli | 132.46 | Part |
| Total : | | | | 273.91 hectares (approximately) or 676.83 acres (approximately) | | |

1. Plot numbers acquired in village Medhauli:

   64(P), 65(P), 344(P), 345(P), 346, 347, 348(P), 349(P), 354(P), 355 to 360, 361(P), 370(P), 371, 372(P), 372/622(P) and all the plots or land falling within polygon F-E-D-I-T-S-R-F are acquired.

2. Plot numbers acquired in village Panjreh:

   2(P), 3 to 5, 6(P),8(P), 9(P), 10, 11(P), 140(P), 141(P), 162(P), 163 to 165, 166(P), 167(P), 168, 169 and all the plots or land falling within polygon F-E-D-I-T-S-R-F are acquired.

**Boundary description of this polygon (F-E-D-I-T-S-R-F):-**

Line F-E: The line starts from point ‘F’ and passes through plot numbers 349,348 and 64 of village Medhauli and meets at point 'E' of plot number 64.

Line E-D: The line starts from point ‘E’ and passes through eastern boundary of plot number 63 (Nalla) and meets at most eastern point 'D' of plot number 63.

Line D-I: The line starts from point ‘D’ and passes through plot numbers 65,345,344,343,361,370,372/622 and 372 of village Medhauli and meets at point 'I' of plot number 389.

Line I-T: The line starts from point ‘I’ situated on previously acquired boundary of Medhauli West (Dip North Side) block, S.O. number 3065, dated the 20th October, 2011 and passes through common boundary of plot numbers 171 and 169 and common boundary of 170 and 169 of village Pijreh (Panjreh) and meets at point 'T'.

Line T-S: The line starts from point ‘T’ and passes through common boundary of plot numbers 170 and 167 of village Pijreh (Panjreh) and meets at point ‘S’.

Line S-R: The line starts from point ‘S’ and passes through plot numbers 167,166,140,141,162,11 and 9 of village Pijreh (Panjreh) and meets at point ‘R’.

Line R-F : The line starts from point ‘R’ and passes through plot numbers 9,6,8 and 2 of Panjreh and plot numbers 354 and 349 of village Medhauli and meets at starting point 'F'.

[No. 43015/14/2020-LAIR (Part)]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA